न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–04/20
आदेश दिनांक 12.01.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र में चक 19 पीकेडी 'ए' लगभग 18 मुरब्बों में अलग–अलग रास्ता कटान करने बाबत् लिखा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा0पत्र में कहीं यह यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि उनकी कृशि भूमि पत्रावली में वर्णित चक के कौनसे मु0नं0 पर स्थित है और वे अपनी कृशि भूमि हेतु कहा से कहां तक रास्ता चाहते है। इसलिए उक्त प्रकरण धारा 251 ए RTA का नहीं बनता है। क्योंकि धारा 251ए RTA का प्रकरण जब बनता है जब काश्तकार को खुद की कृशि भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता ना हो और रास्ता कटान चाहता है। अतः प्रार्थीगण को अपने कृशि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तो नियमानुसार प्रा0पत्र पेश कर अनुतोश प्राप्त कर सकते हैं। यह पत्रावली धारा 151 CPC की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:46:14 IST
Reason: SelfAttested